PEN2PRINT®
Edupedia Publications Pvt Ltd

साहित्य संहिता

Available at http://www.sahityasamhita.org/

ISSN 2454-2695
Volume 02 Issue 03
March 2017

भारतीय संविधान निर्माण में डा0 भीमराव अम्बेडकर की भूमिका

राजेश चहल
राजनीति विज्ञान विभाग
भगतफूल सिंह महिला विश्वविघालय
खानपुर कलां सोनीपत।

व्यक्ति का जन्म उसके वश की बात नहीं है। उसके पैदा होते ही जाति, वंश और धर्म उससे जुड़ जाते हैं। इनसे उसकी मुक्ति नहीं है। परन्तु कर्म ही उसके जीवन को बनाता–बिगाड़ता है। काम करने की योग्यता, उसका कर्म या तो उसे अपयश की खाई में गिराता है या फिर उसे ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य प्रदान करता है। संसार के महापुरूषों के चरित्रों का अध्ययन करते समय यह बात हमारे ध्यान में अवश्य आती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। यह महानता उसे अपने जीवन में त्याग और परिश्रम की भारी पूंजी लगाकार प्राप्त करनी होती है। अमेरिका और रूस विश्व के दो शक्तिशाली देश हैं। इन दोनों देशों के प्रमुख निर्माताओं के रूप में रूस के एक समय के सर्वेसर्व स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम लेना पड़ता है, ये दोनों ही महापुरूष एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। स्टालिन का जन्म एक चर्मकार के घर में हुआ था। अब्राहम लिंकन भी एक फलों के बाग में बागवानी करने वाली एक जारज महिला की संतान थी। डा0 अम्बेडकर अस्पृश्य मानी जाने वाली महार जाति में पैदा हुए थे। इसलिए उनके लिए जन्म से ही सामाजिक वातावरण लिंकन और स्टालिन से विपरीत था, फिर भी वे भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते है।[1]

ISSN 2454-2695
Volume 02 Issue 03
March 2017

अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों को एकता के सूत्र में बांध कर वहां के काले और गोरों के भेद को सबसे पहले समाप्त किया और अमेरिका में प्रथम बार लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली की नींव डाली। उसके विपरीत स्टालिन ने व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोध कर सारे राज्य में समाज सत्तावादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया।

डा0 अम्बेडकर ने प्रजातंत्र और साम्यवाद के समन्वय स्थापित करने का स्वप्न सकार करने का प्रयास किया। उन्होनें हजारों वर्षों से हिन्दू धर्म द्वारा मान्य अस्पृश्यता को कानून के बल पर नष्ट करवाया।[2]

संविधान निर्माण में भीमराव की भूमिका:– जुलाई 1947 के प्रथम सप्ताह में स्वतंत्र भारत का प्रथम मन्त्रिमण्डल घोषित हुआ। पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्वत़न्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होनें दलगत राजनीति से परे हटकर नवोदित राष्ट्र के पुनर्निमाण के लिए विद्धवानों और अनुभवी नेताओं को अपने मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित किया, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर को स्वतन्त्र भारत का प्रथम कानूनमन्त्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति की विधिवत् घोषणा की गई, जिसमें डा0 भीमराव अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। श्री टी.टी कृष्णामचारी ने 5 नवम्बर, 1948 को संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष कहा कि, "डा0 भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता है"। डा0 अम्बेडकर अपने समकालीन राजनेताओं में सबसे अधिक योग्य एंव अनुभवी विद्धवान थे। इसी कारण कांग्रेस द्वारा भीम राव अम्बेडकर को प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) का अध्यक्ष बनाया गया।[3]

ISSN 2454-2695
Volume 02 Issue 03
March 2017

संविधान की छोटी–छोटी समस्या पर उनका स्टीक चिन्तन था। उनका मत था कि भारत के लिए प्रजातान्त्रिक प्रणाली ही उपयुक्त प्रणाली है। संविधान निर्माता होने के नाते उन्होनें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में स्पष्ट वर्णन किया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होनें 'संविधान की आत्मा' कहकर सम्बोधित किया है। इस तरह उनके प्रयासों से ही प्रत्येक भारतीय को गरिमामय जीवन जीने के लिए समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।[4]

संवैधानिक प्रावधानः– डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित समुदाय में हुआ था। इसलिए उन्हे समाज में अनेक अत्याचार सहन करने पड़े। दलित वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होनें अनेक सवैंधानिक प्रावधान किएः–

अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया।

अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

अनुच्छेद 16 (4) में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद 17 छूआछूत की मनाही करता है। जो पहले 1955 में लागू किया गया था, बाद में इसकी जगह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 लाया गया, जिसमें व्यक्ति को छूआछूत के आधार पर किसी सार्वजनिक पूजा–स्थल मन्दिर में प्रवेश करने पर रोक लगाना अथवा किसी पवित्र तालाब या कुंए से पानी लेने से मना करने पर दण्डनीय अपराध माना गया है।[5]

ISSN 2454-2695
Volume 02 Issue 03
March 2017

संविधान का अनुच्छेद 330, अनुसूचित जातियों और जन–जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 332, राज्य विधानसभाओं में इनके लिए स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था करता है।[6]

केन्द्र को मजबूत बनाने के पक्षधरः– डा0 भीमराव अम्बेडकर अखण्ड भारत के पक्षधर थे। संविधान के प्रारूप में कमजोर केन्द्र की व्यवस्था थी और प्रान्तीय इकांइयों में स्वायत शासन की व्यवस्था थी। पण्डित नेहरू सहित सभी कांग्रेसी इसके पक्ष में थे। कांग्रेस कमेटी ने शिथिल शासन हेतू प्रस्ताव पास किया था। लेकिन डा0 अम्बेडकर ही एक मात्र ऐसे राजनेता थे जो मजबूत केन्द्र के पक्षधर थे। और विश्व के घटनाक्रम का उदाहरण देकर उन्होंनें मजबूत केन्द्र के प्रस्ताव को पास करवा लिया। आज अगर केन्द्र कमजोर होता तो देश को टूटने से कोई भी नहीं रोक सकता था।[7]

संविधान के आदर्शों पर मंडरा रहा खतराः– संविधान के जिन आदर्शों ने हमें दशकों से प्रेरित किया उस पर खतरा मंडरा रहा है। डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर हमले हो रहें है। अम्बेडकर ने कहा था कि "कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले तो वह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा"।[8]

डा0 अम्बेडकर भारत विभाजन के खिलाफ थेः–भारत विभाजन के समय एक–दूसरे देश में पलायन के क्रम में लाखों लोग मारे गए और बेघर हुए। इसने समाज में कटुता पैदा की। यह वह दौर था जब हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तो असहिष्णुता चरम पर थी ही, हिन्दू समाज में दलित समुदाय के प्रति अपेक्षा का भाव था। जातिवाद अमीर–गरीब की खाई आदि समस्याओं के चलते ही अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण के समय आग्रह करते हुए कहा था

ISSN 2454-2695
Volume 02 Issue 03
March 2017

कि, "देश में राजनीतिक एकजुटता तो आ जाएगी, लेकिन सामाजिक एकजुटता के लिए बहुत कुछ करना होगा"। यह एक तथ्य है कि उसकी आवश्यकता अभी भी महसूस की जा रही है।[9]

अम्बेडकर ने दलितों के लिए समान अधिकारों की वकालत करते हुए यह सन्देह जताया था कि क्या समाज उनकी बात को स्वीकार करेगा? उनका इशारा जातिवाद और छूआछूत जैसी हिन्दू समाज की कुरीतियों की तरफ था। हिन्दू धर्म में सुधार से शंकराचार्य के इन्कार के बाद ही अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाने को मजबूर हुए थे, लेकिन देश नहीं छोड़ा बल्कि संविधान के जरिये समानता की व्यवस्था की।[10]

बाबा साहब ने संविधान के द्वारा महिलाओं को सारे अधिकार दिये, जो मनुस्मृति ने नकारे थे। हिन्दू धर्म शास्त्रों में नारी की स्थिति को लेकर काफी विरोधाभास है। इस्लाम में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। मनुस्मृति महिलाओं को किसी भी तरह की आजादी नहीं देती थी। इसलिए डा0 अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कदम उठाए। सन् 1951 में 'हिन्दू कोड बिल' संसद में पेश किया। अम्बेडकर का मानना था कि महिलाओं को पैतृक सम्पति में पुरूषों के समान अधिकार मिलने चाहिए।[11]

संविधान पर संसद में चर्चा के दौरान इसी का उल्लेख करते हुए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने यह नसीहत दी है कि आज के माहौल में अम्बेडकर के विचारों से सीख लेने की आवश्यकता है।[12]

निष्कर्षः– डा0 भीमराव अम्बेडकर ने न केवल दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में प्रावधान करवाए। उनका कहना था कि जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है– अन्तर्जातीय विवाह, न कि सहभोज।

संदर्भ सूचीः–

ISSN 2454-2695
Volume 02 Issue 03
March 2017

1. वंसत मून, *डा0 बाबा साहब अम्बेडकर,* नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली। 1991, पृ0—1
2. *वही,* पृ0—2
3. दुर्गा दास बसु, *भारत का संविधान एक परिचय*, लेक्स नेक्स बटरवर्थस वधवा, गुड़गांव, 2009, पृ0— 18
4. राजेश चहल, *भारत का संविधानः 'नए सन्दर्भ'*, दिव्यम प्रकाशन, दिल्ली, 2014, पृ0—34
5. वही, पृ0—28, 29
6. वही, पृ0—167
7. nirwanbodhi.blogspot.com/2012/01/blog-post-610.html
8. nirwanbodhi.blogspot.com/2012/01/blog-post-610.html
9. www.prabhasakshi.com/news/personality/story/1017.html
10. www.prabhasakshi.com/news/personality/story/1017.html
11. http://samaybuddha.wordpress.com/2015/03/08/hindu-code-bill-ambedkar-for-women-freedom/
12. *दैनिक जागरण*, 27 नवम्बर, 2015, पानीपत